सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1369/RJ/3/2023-ESDW

दिनांक: 13.02.2023

सेवा में,

श्रीमती उषा शर्मा,
प्रमुख शासन सचिव,
राजस्थान सरकार,
सचिवालय, जयपुर-302005
ई-मेल: csraj@rajasthan.gov.in

श्री आलोक गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
राजस्थान सरकार,
5213, मुख्य भवन, शासन सचिवालय,
जयपुर, राजस्थान,
ई-मेल: ps-tad@rajasthan.gov.in

डॉ. इन्द्रजीत यादव,
जिला कलेक्टर,
जिला प्रतापगढ़
मिनी सचिवालय प्रतापगढ़,
राजस्थान
ई-मेल: dm-pra-rj@nic.in

विषय: दैनिक भास्कर, प्रतापगढ़ दिनांक 07.02.2023 मे प्रकाशित समाचार "12 हज़ार आबादी के लिए बिजली, मोबाइल नेटवर्क नहीं, बच्चे पथरीले रस्तों से स्कूल जा रहें, मरीजों के लिए चारपाई ही एम्ब्युलेन्स" के संबंध में।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को समाचार पत्र **"दैनिक भास्कर", प्रतापगढ़ से दिनांक 07.02.2023 से** एक सूचना प्राप्त हुई है और आयोग ने इस मामले में **स्वतः संज्ञान** लिया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **03 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

O/C

जारी किया
ISSUED
1936-37-1938

Copy to
NIC, NCST
14/02/2023